सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 20 अगस्त, 1975

श्रावण 29, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

सं० 3066/सत्रह-वि-1—89-74

लखनऊ, 20 अगस्त, 1975

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 13 अगस्त, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1975)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

यू० पी० इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट, 1939 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या 10, 1939 की धारा 2 का संशोधन

2—यू० पी० इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट, 1939 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (4) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बड़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(4-क)—'अनु चिकित्सीय पाठ्यक्रम' का तात्पर्य आयुर्वेदिक अथवा यूनानी-तिब्बी चिकित्सा पद्धति और शल्यकर्म में कम्पाउन्डरों, नर्सों तथा धात्रियों के प्रशिक्षण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम से है;"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (1) में—

(क) खण्ड (3) से खण्ड (5) तक के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात्—

"(3) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय से जिसमें आयुर्वेदिक या यूनानी-तिब्बी चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित संकाय हो, एक-एक सदस्य जिन्हें विहित रीति से ऐसे संकाय द्वारा निर्वाचित किया जायगा;

(4) उत्तर प्रदेश की आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य जो विहित रीति से, ऐसी संस्थाओं के, जो उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों, अध्यापकों द्वारा, निर्वाचित किये जायेंगे ;

(5) उत्तर प्रदेश की यूनानी शिक्षा संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य जो विहित रीति से, ऐसी संस्थाओं के, जो उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, अध्यापकों द्वारा, निर्वाचित किया जायगा।"

धारा 36 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 36 में,—

(क) खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(2) अनु चिकित्सीय पाठ्यक्रम में शिक्षण देने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों को संकाय की सिफारिश पर मान्यता प्रदान करना, उनकी मान्यता निलम्बित करना या वापस लेना;"

(ख) खण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(4) बोर्ड की परीक्षाओं में सफल हुए अभ्यर्थियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना;"

(ग) खण्ड (7) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(7) आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति और शल्यकर्म के विकास के लिए ऐसे अन्य कृत्य करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हों;"

(घ) खण्ड (9) निकाल दिया जाय।

धारा 36-क का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 36-क में—

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(4) निदेशक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी सेवा, उत्तर प्रदेश।"

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(4) उपधारा (1) के खण्ड (3) में निर्दिष्ट सदस्य बोर्ड का सदस्य न रह जाने पर संकाय का सदस्य न रह जायगा।"

धारा 36-ख का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 36-ख को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) कर दिया जाय, और—

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में—

(1) खण्ड (क) से खण्ड (ग) तक के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात्—

"(क) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों में शिक्षण देने के लिये आयुर्वेदिक तथा यूनानी-तिब्बी चिकित्सा पद्धतियों के अध्ययन का पाठ्य-क्रम विहित करना ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की परीक्षाएं लेना जिन्होंने बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रशिक्षण केन्द्र में पाठ्यक्रम पूरा किया हो;

(ग) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा किये गये आवासिक तथा अनुशासनिक प्रबन्धों का सामान्य पर्यवेक्षण करना और उनके छात्रों के स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिये प्रबंध करना;"

(2) खण्ड (ङ) तथा (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायें, अर्थात्—

"(ङ) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण कराना; और

(च) प्रशिक्षण केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने या मान्यता को निलम्बित करने या वापस लेने के लिये बोर्ड से सिफारिश करना।"

(3) खण्ड (छ) निकाल दिया जाय; और

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(2) रजिस्ट्रार संकाय के सचिव के रूप में कार्य करेगा।"

धारा 36-ग का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 36-ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"36-ग—धारा 36-ख में निर्दिष्ट किसी विषय पर संकाय तथा बोर्ड के बीच मतभेद होने की दशा में बोर्ड उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगा और राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।"

धारा 37 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 37 में, खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(1) (क) वे शर्तें जिन पर संस्थाओं को धारा 28 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्रदान की जा सकेगी;

(ख) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षार्थियों का प्रवेश;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन प्रशिक्षणार्थी डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र सम्बन्धी पाठ्यक्रमों में और बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेशित किये जायेंगे तथा ऐसे डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र दिए जाने के पात्र होंगे;

(घ) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों के आवास की शर्तें और ऐसे आवास के लिए फीस उद्गृहीत करना;

(ङ) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों के अध्यापकों की संख्या, अर्हताएं तथा उपलब्धियां;

(च) ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों में पाठ्यक्रमों के लिए तथा बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश करने तथा डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्र के प्रदत्त करने के लिए ली जाने वाली फीस; और

(छ) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें तथा ढंग, और उनके कर्त्तव्य तथा परीक्षा का संचालन :

प्रतिबन्ध यह है कि विनियम बनाते समय बोर्ड सामान्यतया प्रशिक्षण केन्द्रों की वित्तीय तथा अन्य विद्यमान दशाओं का ध्यान रखेगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उपखण्ड (क) से (छ) तक के किसी भी उपखण्ड के अधीन कोई विनियम, उस सिफारिश पर ही बनाया जायेगा जो संकाय द्वारा ऐसी रीति से की जायगी जिसे विहित किया जाय, अन्यथा नहीं।"

धारा 40 का प्रतिस्थापन

9—मूल अधिनियम की धारा 40 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

कतिपय नियुक्तियों का वैद्यों और हकीमों के लिए आरक्षण

"40—राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति के सिवाय किसी ऐसे वैद्य या हकीम से जो बोर्ड से सम्बद्ध किसी संस्था से अर्हता प्राप्त हो या जिसके पास उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त, आयुर्वेदिक या यूनानी-तिब्बी चिकित्सा-पद्धति में, उपाधि हो और जो इस राज्य का अधिवासित निवासी हो, भिन्न कोई व्यक्ति किसी ऐसे आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सालय, रुग्णावास, औषधालय या प्रसवाश्रम में, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित या उसके नियंत्रणाधीन हो, किसी स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सक या अन्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए सक्षम न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वैद्य तथा हकीम जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक को राज्य सरकार या ऊपर निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी के सेवायोजन में हों, उक्त पदों पर बने रहेंगे।"

No. 3066(2)/XVII-V—1-89-1974

Dated Lucknow, August 20, 1975

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Indian Medicine (Sanshodhan) Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 35 of 1975), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 13, 1975:

THE UTTAR PRADESH INDIAN MEDICINE (AMENDMENT) ACT, 1975

[U. P. ACT NO. 35 of 1975.]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the U.P. Indian Medicine Act, 1939

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Indian Medicine (Amendment) Act, 1975.

Amendment of section 2 of the U. P. Act 10 of 1939.

2. In section 2 of the U.P. Indian Medicine Act, 1939 (hereinafter referred to as the principal Act), *after* clause (iv), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(iv-*a*) 'Para-medical course' means a course of study approved by the Board for the training of compounders, nurses and mid-wives in the Ayurvedic or Unani-Tibbi Systems of medicine and surgery;".

Amendment of section 5.

3. In section 5 of the principal Act, in sub-section (1), *for* clauses (iii) to (v), the following clauses shall be *substituted*, namely:—

"(iii) one member each from a University established by law in Uttar Pradesh and having a Faculty concerned with the Ayurvedic or Unani-Tibbi Systems of medicine to be elected in the prescribed manner by such Faculty ;

(iv) two members representing Ayurvedic Educational Institutions of Uttar Pradesh to be elected, in the prescribed manner by the teachers of such Institutions as are affiliated to a University established by law in Uttar Pradesh ;

(v) one member representing Unani Educational Institutions of Uttar Pradesh to be elected in the prescribed manner, by the teachers of such institutions as are affiliated to a University established by law in Uttar Pradesh ;".

Amendment of section 36.

4. In section 36 of the principal Act,—

(*a*) *for* clause (2), the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(2) to accord, suspend or withdraw, on the recommendations of the Faculty, recognition to training centres imparting instruction in para-medical courses ;"

(*b*) *for* clause (4), the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(4) to grant diplomas or certificates to candidates who are successful at the Board's examination;"

(*c*) *for* clause (7), the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(7) to perform such other functions for the development of Ayurvedic and Unani Systems of medicine and surgery as may be consistent with the provisions of the Act;"

(*d*) clause (9) shall be *omitted*.

Amendment of section 36-A.

5 In section 36-A of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), *for* clause (iv), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(iv) the Director of Ayurvedic and Unani Services, Uttar Pradesh."

(*b*) *for* sub-section (4), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(4) A member referred to in clause (iii) of sub-section (1) shall cease to be a member of the Faculty upon his ceasing to be a member of the Board."

Amendment of section 36-B.

6. Section 36-B of the principal Act shall be *renumbered* as sub-section (1) thereof, and—

(*a*) in sub-section (1) as so *renumbered*,—

(i) *for* clauses (*a*) to (*c*), the following clauses shall be *substituted*, namely:—

"(*a*) to prescribe courses of study in Ayurvedic and Unani-Tibbi Systems of medicine for imparting instructions in training centres recognised by the Board;

(*b*) to hold examinations of persons who shall have pursued a course of study in a training centre recognised by the Board;

(*c*) to exercise general supervision over the residential and disciplinary arrangements made by the training centres recognised by the Board and to make arrangement for promoting the health and general welfare of their students ;"

(ii) *for* clauses (*e*) and (*f*), the following clauses shall be *substituted*, namely:—

"(*e*) to cause inspection of training centres recognised by the Board ; and

(*f*) to make recommendations to the Board for the accord of recognition to or the suspension or withdrawal of recognition of training centres."

(iii) clause (*g*) shall be *omitted*; and

(*b*) *after* sub-section (1) as so *renumbered*, the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(2) the Registrar shall function as the Secretary of the Faculty."

Amendment of section 36-C.

7. *For* section 36-C of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

"36-C. In the event of disagreement between the Faculty and the Board on any matter referred to in section 36-B, a reference shall be made by the Board to the State Government and the decision of the State Government shall be final."

Amendment of section 37.

8. In section 37 of the principal Act, *for* clause (1), the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(1) (*a*) conditions on which institutions may be recognised for the purposes of registration under section 28;

(*b*) the admission of trainees to the training centres recognised by the Board ;

(*c*) the conditions under which trainees shall be admitted to the diploma and certificate courses and to the examinations of the Board, and shall be eligible for the grant of such diplomas and certificates;

(*d*) the conditions of residence of the trainees in the training centres recognised by the Board and the levying of fees for such residence;

(*e*) the number, qualifications and emoluments of teachers of the training centres recognised by the Board;

(*f*) the fees to be charged for courses of study in such training centres and for admission to the examinations, diplomas and certificates of the Board;

(*g*) the conditions and mode of appointment and duties of examiners and the conduct of examinations:

Provided that in framing regulations, the Board shall take into consideration the financial and other existing conditions of the training centres generally:

Provided further that no regulation shall be framed under any of the sub-clauses (*a*) to (*g*) except upon the recommendations to be made in such manner as may be prescribed by the Faculty."

Substitution of section 40.

9. *For* section 40 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

"40. Except with the special sanction of the State Government, no person other than a Vaidya or Hakim who has qualified himself or herself from an institution affiliated to the Board or who holds a degree in Ayurvedic or Unani-Tibbi Systems of medicine from a University established by law in Uttar Pradesh, and is a domiciled resident of this State shall be competent to hold an appointment as medical officer of health or as physician or other medical officer in an Ayurvedic or Unani hospital, infirmary, dispensary or lying-in hospital maintained by or under the control of the State Government or a local authority:

Provided that Vaidyas and Hakims in the employ of the State Government or a local authority specified above on the date on which this Act comes into force shall continue to hold the said appointments."

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 217 सा० (विधायिका)--1975--650 (से०)